

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE AND ANTI- P.S. (थाना): SHIMLA Year (वर्ष): 2021
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/07/2021 15:20 hrs
2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/07/2021 Time (समय): 00:00 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date & Time (दिनांक और समय): 13/07/2021 15:05 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): WEST, 25 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): Ghanati
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): Asha Ram Thakur
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1956 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		
- (h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Kadech,PO Ghanati,SHIMLA,HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Permanent Address	Kadech,PO Ghanati,SHIMLA,HIMACHAL PRADESH,INDIA
- (i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):
7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Laiq Ram			1. Baluganj,SHIMLA WEST,SHIMLA, HIMACHAL PRADESH,INDIA
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
-----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

At this time a complaint Diary No.871 dated 12-7-2021,along with preliminary verification report dated 13-07-2021 of Sub-Inspector Inder Lal, E/O PS, SVACB Shimla, has been received in this Police Station for registration of criminal case.. The contents of the verification report is as under :- निवेदन इस प्रकार से है कि शिकायत पत्र संख्या 871 दिनांक 12.07.2021 तस्दीक हेतु मन उप निरीक्षक को जनाब Dy. SP/SHO, PS SVACB शिमला ने दिया था, जिसमें श्री आशा राम ठाकुर पुत्र स्व. अमर सिंह निवासी गाँव कढ़ेच डाकघर घणाहट्टी तहसील व जिला शिमला ने श्री लायक राम, सर्वेयर कृषि विभाग, बालूगंज के विरुद्ध गाँव कढ़ेच में बनाये गए सिचाई टैंक के प्राप्त हुए 3,28,122/- रुपये में से एसेसमेंट की एवज में पैसे की मांग कर रहा है। शिकायतपत्र का मजबूत जैल है श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं आशा राम पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह ग्राम कढ़ेच डा0 घणाहट्टी तै0 व जिला शिमला हि0 प्र0 का स्थाई निवासी हूँ तथा वर्तमान में कृषि विकास संघ ग्राम पंचायत कढ़ेच का प्रधान हूँ। यह कि ग्राम पंचायत कढ़ेच के लिए सिचाई टैंक एवं सिचाई की पाईपें विछाने के लिए कृषि विभाग बालूगंज द्वारा लगभग 7 लाख रुपये की राशी मंजूर हुई थी, जिसमें कृषि विभाग बालूगंज द्वारा 400 सिचाई की पाईपें व 110 बैग सिमेंट भेजे गए थे तथा अन्य सामान खरीदने के लिए कृषि विभाग ने मेरे बैंक खाते में 3,28,122 रुपये की राशी डाली थी। जिससे मैंने सरिया, रोड़ी, रेत, लेबर मजदूरी व अन्य सामान खरीदा है मार्च माह 2021 में टैंक का निर्माण कार्य मैंने पूरा कर लिया है। इस टैंक की असेसमेंट सर्वेयर श्री लायक राम उपरोक्त ने की है। जो अब श्री लायक राम इस कार्य की एवज में मुझ से 15-20 हजार रूपयों की मांग पिछले कई दिनों से कमीशन/रिश्वत के रूप में लगातार मेरे फोन पर कर रहा है जिसकी रिकार्डिंग भी मैंने अपने फोन में की है। आज दिनांक 12.07.2021 को भी सुबह के समय श्री लायक राम उपरोक्त ने मेरे मोबाईल फोन पर दोबारा फोन करके रिश्वत के रूपों को लेकर आने व मिलने की बात की है। मैं रिश्वत की यह राशी सर्वेयर श्री लायक राम को नहीं देना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कृषि विभाग के सर्वेयर श्री लायक राम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। उपरोक्त शिकायत पत्र की तस्दीक मन उप निरीक्षक द्वारा अमल में लाई गई। दौराने तस्दीक पाया गया कि शिकायतकर्ता गाँव कढ़ेच डा0 घणाहट्टी का स्थाई निवासी है तथा कृषि विकास संघ गाँव कढ़ेच का बतौर प्रधान नियुक्त है। दिसम्बर 2020 में गाँव कढ़ेच के लिए सिचाई हेतु कृषि विभाग से एक स्कीम पास हुई थी जिस पर जनवरी 2021 में इसने गाँव कढ़ेच में एक सिचाई टैंक का निर्माण कार्य शुरू करवाया था जो कि मार्च 2021 में पूरा हो गया था। इस कार्य के लिए लगभग 7 लाख रुपये की राशी मंजूर हुई थी जिस के लिए कृषि विभाग द्वारा मु0 3,28,122 रुपये की राशी शिकायतकर्ता के खाता में स्थानान्तरित की गई थी। उस राशी से शिकायतकर्ता ने सरिया, रोड़ी, रेत, लेबर मजदूरी व अन्य सामान खरीदा था जो शिकायतकर्ता ने यह पूरी राशी वितरित कर दी थी तथा शेष राशी से टैंक से पाईपें विछाने के लिए कृषि विभाग बालूगंज ने स्वयं ही पाईपें व सिमेंट खरीदकर भेजी थी जिससे टैंक का निर्माण कार्य तथा पाईपें विछाने का कार्य मार्च 2021 में पूर्ण हो गया था। उपरोक्त टैंक के कार्य का मुल्यांकन श्री लायक राम, सर्वेयर भू संरक्षण शाखा, कृषि विभाग बालूगंज द्वारा करना पाया गया। जिस पर श्री लायक राम द्वारा उसके मोबाईल फोन न. 82193-30561 से शिकायतकर्ता के मोबाईल फोन न. 94592-16480 पर बातचीत करनी पाई गई, जो इस बातचीत की रिकार्डिंग शिकायतकर्ता के मोबाईल फोन के मैमोरी कार्ड में save हुई। दौराने तस्दीक श्री आशा राम के मोबाईल फोन के मैमोरी कार्ड में हुई शिकायतकर्ता व आरोपी के बीच बातचीत की रिकार्डिंग को गवाह श्री नृपजीत सिंह तथा शिकायतकर्ता की मौजूदगी में स्पीकर ऑन करके सुना गया। शिकायतकर्ता ने रिकार्डिंग में हुई अपनी व आरोपी लायक राम की बातचीत को पहचाना। इस बातचीत में पाया जा रहा है कि श्री लायक राम, शिकायतकर्ता से कढ़ेच गाँव में कृषि विभाग द्वारा बनवाए गए टैंक तथा उसका मुल्यांकन करने की एवज में 10 हजार रुपये कमीशन के रूप में मांग रहा है। सरसरी तस्दीक पर यह भी पाया गया है कि श्री लायक राम, भू संरक्षण विभाग, कार्यालय निदेशक, कृषि बालूगंज, शिमला में बतौर सर्वेयर के पद पर ही तैनात है जिसका चाल-चलन सदिग्ध पाया गया है। दौराने तस्दीक यह पाया गया है कि श्री लायक राम फोन पर ही पैसे के लेन-देन की बात करता है जिस पर शिकायतकर्ता श्री आशा राम को हिदायत दी गई कि यह अपने मोबाईल फोन पर लायक राम उपरोक्त द्वारा रिश्वत की मांग से सम्बन्धित बातचीत को रिकार्ड करे। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत पत्र में श्री लायक राम, सर्वेयर के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए जा रहे हैं। जिस पर श्री लायक राम के द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुए कमीशन के रूप में 10 हजार रूपयों की मांग करना जुर्म जेर धारा 7 of PC Amended Act 2018 का बकूह में आना पाया जा रहा है। लिहाजा श्री लायक राम के खिलाफ अभियोग u/s 7 of PC amended Act 2018 पंजीकृत थाना करने की सिफारिश की जाती है। तस्दीक रिपोर्ट जनाब प्रभारी साहब की सेवा में पेश की जा रही है। SD- Sub-Inspector, Inder Lal, E/O, PS SVACB Shimla-2.

Action Taken:-From the above preliminary enquiry report a criminal case u/s- 7 of P.C Act. 1988 as amended up to 2018 is madeout and FIR has been registered against Sh Laiq Ram , Surveyor, Agriculture Department, Boileauganj Shimla. Copies of FIR is being sent to Ld.Court and seniors officers of SVACB HP, Shimla-2. Inspector Vikrum Singh, I/O PS, SVACB, Shimla is appointed as TLO (Trap Laying Officer) and is directed to lay a trap.

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Vikram Singh Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): nil

to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kamal Kishore

Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No.(सं.): N/A

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Poxpitted: NO
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)		Dress Habit(s) (पहनावा)
8		9	10	11		13
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)